[Shri P. C. Sethi]

(ii) S.O. 261 dated the 23rd January, 1965.

(iii) S.O. 329 dated the 30th January, 1965.

[*Placed in Library. see* No. LT-3920/65].

NOTIFICATION UNDER COFFEE ACT

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy):** Sir, I lay on the Table a copy of the Coffee (Amendment) Rules, 1965, published in Notification No. G.S.R. 139 dated the 23rd January, 1965, under sub-section (3) of section 48 of the Coffee Act, 1942. [*Placed in Library. see* No. LT-3803/65].

---

12.33 hrs.

*RE*: QUESTION OF PRVILEGE

**Mr. Speaker:** I take up the privilege motion of Shri Maniram Bagri.

**श्री बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, 2 तारीख को जब माननीय प्रधान मंत्री जी यहां भाषण दे रहे थे, डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि प्रधान मंत्री अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं जबकि उन की मातृ भाषा हिन्दी है । इस के उत्तर में माननीय शास्त्री जी ने कहा कि "मैं इस वक्त अंग्रेजी में बोल रहा हूं और बोलूंगा, लेकिन आगे मैं हिन्दी में बोलूंगा ।" लेकिन पी० टी० आई०, पी० आई० बी० आदि के अखबारों में और स्टेट्समैन में जो कुछ 3 तारीख को छपा उस के अन्दर कहा गया कि "हिन्दी टू" यानी हिन्दी में भी और अंग्रेजी में भी । इस का मतलब हां और न में बदल गया, और जनता पर इस का बड़ा गलत असर पड़ा, ऐन इसी तरीके से जैसे कि हम ने कहा कि प्रधान मंत्री की मातृ भाषा हिन्दी है, इसलिये प्रधान मंत्री हिन्दी में बोलें । यानी जिस प्रधान मंत्री की भाषा हिन्दी हो वह हिन्दी में बोलें और अगर उन की मातृ भाषा हिन्दी न हो तो चाहें तो अंग्रेजी में बोलें । लेकिन इस को बहुत गलत ढंग से छापा गया, जिस का यह असर पड़ता जा रहा है कि कम से कम सात आठ ऐसे खत हमारे पास आये हैं अहिन्दीभाषी प्रान्तों से जिन में कत्ल की धमकी दी गई है । इस का एक कारण है कि जो चौदह बड़ी बड़ी एजेन्सियां हैं इत्तला देने वाली, उन के अन्दर कम से कम दस अंग्रेजी भक्त शामिल हैं जो अंग्रेजी भाषा को हर तरीके से आगे रखना चाहते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बातें जिन का गलत मतलब निकले, देश के अन्दर अशान्ति फैलाती हैं । इन बातों को रोकने के लिये, इस को विशेषधिकार समिति के सुपुर्द किया जाये ।

**Mr. Speaker:** Would the Prime Minister like to say anything on this?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं ने जो कहा था कि मैं आगे हिन्दी में बोलूंगा तो उस का यह मतलब तो नहीं है कि मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा । यह तो उस का तात्पर्य नहीं था । मेरा मतलब भी यह नहीं था । यह ठीक है कि मैं हिन्दी में बोलूंगा । अंग्रेजी में भी बोलूंगा, जैसा अवसर हो । लेकिन मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा । ऐसा मेरा कोई तात्पर्य नहीं था ।

**डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद)**: इस पर मुझे कुछ अर्ज कर लेने दीजिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : देखिये डाक्टर साहब, जब आप तीनों के नाम हैं तो मैं ने एक सदस्य को सुन लिया । अब यह जरूरी नहीं कि हर एक को सुना जाये ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : यह बिल्कुल सही है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने जो फरमाया है, उस पर मुझे कुछ कहने दिया जाये, क्योंकि इस के नतीजे बड़े खतरनाक होते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप बैठ जाइये । मेरी बात सुनिये ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : प्रधान मंत्री जी ने . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कह रहा हूं कि मेरी बात सुन लीजिये और आप बोले चले जा रहे हैं ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : प्रधान मंत्री जी को खुद, जो इस सदन के नेता हैं, यहां पर कोई गलत काम नहीं होने देने चाहियें ।

**अध्यक्ष महोदय** : गलत या दुरुस्त का सवाल नहीं है । आर्डर, आर्डर ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : कहीं कोई चीज तो होने दो । क्या कहा था उन्होंने । कि इस वक्त मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं आगे मैं हिन्दी में बोलूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं हाउस से यह कहूंगा कि मैं ने डा० राम मनोहर लोहिया साहब को तीन चार दफे रुकने के लिये कहा है मगर वह रुकने के लिए तैयार नहीं हैं और बराबर परसिस्टेंटली . . . (*Interruptions*).

**Shri H. N. Mukerjee** (Calcutta Central): Sir, do we take it that certain Members have a particularly privileged position and then go on interrupting the proceedings of the House and waste the time of the country which is paid for, and when some Members are pushed out of the House, other Members who defy you deliberately and repeatedly are not given that kind of punishment perhaps because it is possible to blackmail the Chair? I am very sorry to have to say it, but when that sort of thing goes on, it will be impossible for anyone to speak and it is waste of our time as well. (*Interruption*).

**Mr. Speaker**: Order, order.

**Shri H. N. Mukerjee**: If the time of the House is to be wasted by certain people, we are not going to be participators in that waste. (*Interruption*). We want the House to be kept in order by the Chair and we want the Leader of the House also to help us in this matter. But the Leader of the House abdicates his responsibility, and even you persuade yourself to allow certain Members to do whatever they like.

**श्री रामेश्वरानन्द** (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरा निवेदन सुन लें ।

**अध्यक्ष महोदय** : आर्डर, आर्डर । स्वामी जी बैठ जायें ।

**श्री रामेश्वरानन्द** : मैं बैठ जाऊंगा लेकिन मेरा एक निवेदन सुन लें । मेरा निवेदन यह है कि हम सब लोग चुन कर आये हैं और प्रजातंत्र में समानता से आये हैं । अगर हम यहां बोलते नहीं हैं तो जनता कहती है कि तुम करते क्या हो, क्यों इस का विरोध नहीं करते । यहां पर हम बोलते हैं तो ऊपर से आप का डंडा लगा हुआ है । हम चाहते हैं कि आप का आदर किया जाये, परन्तु आप सत्तारूढ़ दल को बचाने का इतना यत्न करते हैं । मुझे इस बात के लिये खेद है । मैं आज सदन का त्याग करता हूं ।

(*Shri Rameshwaranand then left the House*)

**डा० राम मनोहर लोहिया** : यहां पर ब्लैक मेल आदि के शब्द इस्तेमाल हुए । अगर इस पर भी आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो कब बोलने देंगे । आखिर कोई हद हुआ करती है । मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने बार बार आप से रुकने के लिए कहा, अब आप से कहूंगा . . .

**डा० राम मनोहर लोहिया** : क्या ब्लैक मेल शब्द को चलने दिया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं आप से कहूंगा कि आप बाहर चले जाइये ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : क्या आप ब्लैक मेल शब्द का इस्तेमाल होने देंगे । कम्यूनिस्ट लोग अंग्रेजी के मामले में ....

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप बाहर चले जाइये ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : सारी दुनिया को अंग्रेजी भक्ति दिखलाइये और न्याय को तोड़ते चले जाइये । और शास्त्री जी वहां क्यों बठे हैं ।

**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : इसलिये कि हम लोग चाहते हैं ।

*(Dr. Ram Manohar Lohia then left the House)*

**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** (झज्जर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आदत नहीं है कि मैं व्यर्थ बोलूं । मैं तो आखीर में बोल रहा हूं । हमारा हिन्दी राष्ट्र है, हिन्दी की रक्षा के लिये हम ने जो कानून बनाये हैं उन का उल्लंघन करना हम जायज समझते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगर उन का उल्लंघन करना है तो कहीं बाहर करें । यहां यह नहीं होने दिया जायेगा ।

**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : बहुत अच्छा ।

**श्री मधु लिमये** (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं ।

**श्री मधु लिमये** : आप को व्यवस्था का प्रश्न तो लेना होगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेरी सुन लीजिए, मैं उसका फैसला दूंगा । यह सवाल प्रिविलेज मोशन का है कि शास्त्री जी ने कहा था कि "आई एम स्पीकिंग इन इंगलिश टु डे बट आई विल स्पीक इन हिन्दी ..." । उन्हों ने कहा कि वह आगे अंग्रेजी में बोलेंगे । लेकिन सवाल जो इस वक्त शास्त्री जी ने कहा उस का नहीं है । सवाल यह है कि प्रेस वाले ने जिस ने रिपोर्ट दी उसने यह लिखा कि उन्होंने कहा कि "आई विल स्पीक इन हिन्दी टू" । इस पर मोशन आया है कि प्रिविलेज का भंग हुआ है । शास्त्री जी इस वक्त जो भी कहें उस से इसका सम्बन्ध नहीं है । उसके बिना जब यह नोटिस मेरे पास आया तो मैं ने उसे नामंजूर किया । अगर अखबार में कहा गया "टू" तो यह बात इतने महत्व की नहीं कि इस से कोई प्रिविलेज वायलेट हो गया और हाउस को इस छोटी सी चीज का नोटिस लेना चाहिए । उन्हों ने कहा कि इस का क्या असर होता है, तो यह दूसरा सवाल है । जहां तक प्रेस वाले का सवाल है, अगर उस ने लफ्ज "टू" लिखा भी तो उसका यह नतीजा नहीं निकलेगा कि उसने ऐसा मैलाफाइडी तरीके से किया या उसके दिमाग में कुछ मैलिस थी जिसको कि वह प्रोजेक्ट करना चाहता था । इससे हम यह चीज कनक्लयूड नहीं कर सकते । इसी वास्ते जब पहले यह नोटिस मेरे पास आया तो मैंने इसको नामंजूर किया । दोबारा माननीय सदस्य मुझ से मिले और नोटिस भी दी । फिर मैंने शास्त्री जी को भी कहा । लेकिन जो कुछ शास्त्रीजी ने स्पष्टीकरण किया, उसको छोड़ कर भी जो कुछ वहां लिखा हुआ है उस के बारे में मेरी राय है कि कोई ऐसा मामला नहीं है कि इस के लिए कमेटी बनाई जाय और हाउस इस का नोटिस ले । ये चीजें तो बिल्कुल इगनोर की जा सकती हैं । अगर उसने ऐसा किया तो इस में मैलाफाइडी या प्रेजुडिस नहीं थी । इस वास्ते हाउस को इस का नोटिस नहीं लेना चाहिए और मैं इसीलिए कंसेंट नहीं देता कि इस को आगे बढ़ाया जाये ।

**श्री मधु लिमये** : ये जो नियम हैं इसके सम्बन्ध में, उन के अन्तर्गत तो आप को यह देखना है .....

**एक माननीय सदस्य** : कौन से नियम ?

**श्री मधु लिमये** : नियम 222, 223, 224, 225 और 226 ।

तो इन नियमों के अन्तर्गत आप को यह तै करना है कि जो यह प्रश्न है वह इन नियमों के अनुकूल है या नहीं । आप का फैसला हम जानना चाहते हैं । क्या आप इस को आडट आफ आर्डर कह रहे हैं । जब आप इस की इजाजत नहीं देते तो इस बात का फैसला होना चाहिए ।

---

**अध्यक्ष महोदय** : इस में दो चीजें हैं । पहले तो मुझे कंसेंट देनी और फिर कमेटी को भेजना है । मैं अपना कंसेंट अपने चेम्बर में भी विदहोल्ड कर सकता हूं । मगर जिस वक्त किसी का हाउस में रेफरेंस देना चाहूं तो हाउस में उसका रेफरेंस दे कर भी अपनी कंसेंट विदहोल्ड कर सकता हूं । मैंने पहले चेम्बर में अपनी कंसेंट विदहोल्ड की थी, लेकिन मेम्बर साहब सटिसफाई नहीं हुए और उन्होंने मुझे नोटिस दी और मुझ से मिले भी । इसलिए मैं उन का रेफरेंस करके यहां कंसेंट नहीं दे रहा हूं कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाय । इस वास्ते इस पर आगे और कुछ नहीं हो सकता ।

**श्री मधु लिमये** : यह नियम आप पढ़िए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने नियम पढ़ा है, अब आप बैठ जायें । मैंने फैसला भी दे दिया है ।

**श्री मधु लिमये** : मैं आप को नियम पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब पढ़ने का क्या मतलब जबकि मैं फैसला दे चुका ।

**श्री मधु लिमये** : आप पढ़ने के बाद फैसला कीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इस की इजाजत नहीं देता हूं आप बैठ जाइए ।

**श्री मधु लिमये** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने आप का व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया और मैं ने फैसला दे दिया । अब आप काम में बाधा डाल रहे हैं ।

**श्री मधु लिमये** : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं और नहीं सुनूंगा और मैं मधु लिमये जी से कहूंगा कि वह बाहर चले जायें ।

**श्री मधु लिमये** : यह बिल्कुल गलत है ।

*(Shri Madhu Limaye then left the House)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात का सख्त नोटिस लेना चाहता हूं । पहले भी एक मेम्बर ने कहा कि मेरा निर्णय गलत है और अब फिर कहा गया कि मेरा फैसला गलत है । मैं इस का नोटिस लेना चाहता हूं । यह जो मेम्बर ने कहा यह चेयर की डिसरेस्पैक्ट है और यह ज्यादा रिप्रिहेंसिबिल है और इस की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह खड़े हो कर कोई ऐसी बात कहें ।

**श्री रामसेवक यादव** (बाराबंकी) : अगर आप इजाजत दें तो मेरा एक निवेदन है । कौन मेम्बर किस तरह बोलता है और कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है उस का इस सदन में भी असर होता है । मैं यह चीज देख रहा हूं पिछले सत्र से बराबर कि जब कोई मेम्बर खड़ा हो कर कुछ निवेदन करता है, या सफाई देता है या कानूनी बात कहता है तो हर वक्त कुरसी को यह खयाल रहता है कि शायद हमारा अनादर तो नहीं हो रहा है । और जो सदस्य निवेदन करता

[श्री रामसेवक यादव]

होता है उसके मन में भी अनादर की बात रहती है । तो इस स्थिति में तो कोई न्यायसंगत चीज इस सदन में नहीं हो सकती । जो अपनी बात कहना चाहेगा उस को आप बाहर निकाल देंगे जसाकि अधी प्रिय गुप्त के मामले में हुआ, डाक्टर साहब के मामले में हुआ और मधु लिमये के मामले में हुआ । इस तरह से जो विरोध करना चाहेगा अगर उस को एक एक कर के निकाल दिया जायगा तो इस सदन का काम शान्तिपूर्वक चलेगा । यह स्थिति है । मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार करें और सोचें . .

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाएं ।

**श्री राम सेवक यादव** : आप ने जो निर्णय दिए हैं उन को मैं ठीक नहीं समझता और जनतंत्र के विरोध में समझता हूं और इसलिए वाकआउट करता हूं ।

*(Shri Ram Sewak Yadav then left the House.)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पाटिल .

**श्री बागड़ी** : इस चीज का मुझ से भी ताल्लुक है, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई मौका नहीं इस वक्त इस पर कुछ कहने का । मैं ने पाटिल साहब को बुलाया है । आप काम में रुकावट न डालिए ।

**श्री बागड़ी** : मेरी एक बात सुन लीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठिए ।

**श्री बागड़ी** : एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं दरम्यान में इजाजत नहीं दूंगा ।

---

**12·45 hrs.**

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1964-65

**The Minister of Railways (Shri S. K. Patil)**: I beg to present* a Statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1964-65.

---

**12.45½ hrs.**

## BUSINESS OF THE HOUSE

**The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha)**: With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House for the week commencing 8th of March, 1965, will consist of:—

(1) Further discussion on the Railway Budget.

(2) Discussion and voting on:

Demands for Grants (Railways) for 1965-66.

Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1964-65.

(3) Consideration and passing of the Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill, 1965.

(4) Discussion on the statement of the Minister of Home Affairs on the anti-national activities of pro-Peking Communists and their preparations for subversion and violence, laid on the Table of the House on the 18th February, 1965 on a motion to be moved by H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo and others on Thursday, the 11th March, at 4 P.M.

I may also inform the House that General Discussion on General Budget

---

*Presented with the recommendations by the President.